कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025 **दिनांक 01/02/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यो एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 31.01.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. शक्ति मोबाइल टीम थाना-कोतवाली द्वारा चोरी करने वाली 02 नफर अभियुक्ता को 02 अदद पीली धातु (सोने का कंगन) व 4000/- रुपये के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे आभियान के तहत दिनांक 30.01.2025 को थाना कोतवाली पुलिस की शक्ति मोबाइल टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तागण 1. मुस्कान पत्नी इस्लाम निवासी गोल गड्डा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष, 2.तमन्ना पुत्री कलाम निवासी गोल गड्डा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष को जमानिया मोड़ थाना कोतवाली से गिरफ्तार किया गया।

विदित है कि दिनांक 30.01.2025 को शक्ति मोबाइल टीम थाना-कोतवाली को सूचना मिली कि जमानिया मोड़ पर आवेदक की भांजी सोनम सिंह पत्नी रोशन सिंह द्वारा बस पकडने जाते समय अभियुक्तागण द्वारा पर्स से रु0 4000/- एवं 02 अदद सोने का कंगन पीली धातु को चोरी किया गया, शोर मचाने व सूचना पर तत्काल शक्ति मोबाइल टीम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा मौके पर पहुँच कर 02 नकाब पोश अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से आवेदक की भांजी का चोरी किया गया 02 अदद पीली धातु (सोने का कंगन) व 4000/- रुपये बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मुस्कान पत्नी इस्लाम निवासी गोल गड्डा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।
2. तमन्ना पुत्री कलाम निवासी गोल गड्डा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी

1. 02 अदद कंगन पीली धातु
2. चार हजार रुपये

02- 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।

दिनांक 31.01.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 260/2015 धारा 302,307,201,भादवि व 3/7/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. राजेश यादव पुत्र बलवर यादव निवासी कल्यानपुर थाना रेवीतपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 3/7/25 आयुध अधि0 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

<u>03- थाना सैदपुर पुलिस का सराहनीय कार्य</u>

<u>* महाकुम्भ प्रयागराज में अमृत स्नान के दौरान संगम तट से अपने परिवार से बिछड़ी महिला को सकुशल उनके परिजनों को किया गया सुपुर्द ।</u>

दिनांक 29.01.2025 को शाम करीब 7 बजे एक महिला जो अपना नाम सुनीला देवी पत्नी रुद्रानन्द झा निवासी ग्राम रामनगर बेला थाना श्रीनगर जनपद मधेपुरा बिहार राज्य बता रही थी जो महाकुम्भ प्रयागराज अमृत स्नान के दौरान संगम तट से भगदड़ के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गयी थी ,जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति जो गाजीपुर का निवासी है के द्वारा थाना सैदपुर पर लाया गया था । जिस सम्बन्ध मे प्रभारी निरीक्षक सैदपुर द्वारा बिहार राज्य पुलिस थाना श्रीनगर जनपद मधेपुरा से सम्पर्क करते हुये उपरोक्त महिला के परिजनो से सम्पर्क किया गया । तत्पश्चात उपरोक्त महिला को थाना स्थानीय के म0का0 रोली , व म0हे0का0 नम्रता सोनकर के निगरानी मे सकुशल बैठाया गया व भोजन व कम्बल कि व्यवस्था कि गयी । दिनांक 30.01.2025 को महिला के परिजन पति रुद्रानन्द झा , पुत्र राजेश झा व अन्य सगे संबंधी थाना स्थानीय पर आये व गुमशुदा महिला उपरोक्त सुनीला देवी को सकुशल अपने साथ अपने घर ले गये, परिजनों द्वारा गुमशुदा महिला को सकुशल पाकर थाना सैदपुर पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर